मिलीभगत — अधिकारियों-समितियों की मिलीभगत की आशंका

धान खरीदी में चुनिंदा कार्रवाई, कई समितियों पर मेहरबानी

नवभारत, जबलपुर। जिले में चल रही धान खरीदी के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के बाद दो समितियों को ब्लैकलिस्ट, तीन को चेतावनी और एक वेयरहाउस को ब्लैकलिस्ट जरूर किया गया है, लेकिन कई अन्य समितियों और वेयरहाउसों में पाई गई भारी गड़बड़ियों पर कोई ठोस कार्रवाई न होना अधिकारियों की भूमिका को संदेह के घेरे में ला रहा है। जिला प्रशासन ने अभी तक दो समितियों को दो वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन समितियों में नॉन एफएक्यू धान खरीदी, कम तौल, किसान कोड और नाम अंकित न होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। इसके अलावा तीन संस्थाओं के कर्मचारियों को केवल चेतावनी और गुरुवार को एक वेयरहाउस में घुन लगे गेहूं के साथ धान रखने को लेकर उसे ब्लैकलिस्ट किया गया है।

प्रशासनिक निष्पक्षता पर खड़े हो रहे सवाल

जहां एक ओर कुछ समितियों पर त्वरित कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर कई केंद्रों और वेयरहाउसों में स्पष्ट अनियमितताओं के बावजूद कठोर कदम न उठाया जाना प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। इससे धान खरीदी व्यवस्था में अधिकारियों और समितियों की संभावित मिलीभगत की चर्चा तेज हो गई है।

आरछा में कम तौल पर कोई कार्यवाही नहीं

पाटन तहसील अंतर्गत सेवा सहकारी समिति आरछा के धान खरीदी केंद्र पर कम तौल की गंभीर अनियमितता सामने आई। यहां किसान 40 किलो 600 ग्राम के बजाय 35 से 36 किलो धान की तौल कर रहा था। या तो वह किसान नहीं व्यापारी या बिचौलिया हो सकता है, जो बिना सर्वेयर के पास की हुई धान को धड़ल्ले से तौल करा रहा था, वह भी समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए बारदाने में। मौजूद सर्वेयर का कहना था कि उसके द्वारा धान पास नहीं की है। दोबारा तौल में सभी बोरियां कम वजन की पाई गईं, जिसके बाद किसान आनन फानन में धान वापस लेकर चला गया। जिस पर केंद्र प्रभारी नीरज पटेल ने सफाई देते हुए यह कह दिया था कि वह किसान धान वापस लेकर चला गया है। इस मामले में केंद्र प्रभारी की भी किसान से मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र पर किसानों से तौल के नाम पर भी पैसों की मांग की जा रही है, धान की बोरियों पर किसानों के नहीं थे नाम, साथ ही नॉन एफएक्यू धान भी आसानी से पास हो रही है। जिस पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

628 गरीब छात्रों का फर्जी एडमिशन दर्शाकर 26 .50 लाख हड़पे

शासन को लगाई चपत, 6 स्कूल संचालकों, नोडल अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। आधा दर्जन निजी स्कूलों के द्वारा कुल 628 गरीब छात्रों का फर्जी एडमिशन अपने स्कूलों में दर्शाकर गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस के 26.50 लाख रूपये हड़पते हुए शासन के साथ धोखाधड़ी की है। मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर ने प्राइवेट स्कूलों के मालिकों एवं नोडल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर में विजयकांति पटेल ने शिकायत की गई कि गरीबी रेखा के नीचे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा एक छात्र को 2 से 3 बार एडमिशन दर्शाकर जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर से इस योजना में शासन से प्रदान की जाने वाली छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि का अनियमित भुगतान किया गया। शिकायत की जांच में यह पाया गया कि जबलपुर जिले में 466 प्राइवेट स्कूलों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों की वर्ष 2011 से 2016 तक अवधि में कुल 3,27,83,521 रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की गई थी। इनमें से 6 प्राइवेट स्कूलों के द्वारा कुल 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन अपने स्कूलों में दर्शाकर 26.50 लाख रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि अवैध रूप से हड़प ली गई। इन 6 स्कूलों के संचालकों ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ षडयंत्र कर वंचित गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस की राशि का गबन करके शासन को 26.50 लाख रूपये की आर्थिक क्षति कारित की। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 में पदस्थ शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों द्वारा इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे कमजोर वर्ग के बच्चों के एडमीशनों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया और स्कूल संचलकों से षड़यंत्र पूर्वक सहयोग कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया।

इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज

ईओडब्ल्यू जबलपुर ने स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी के संचालक मनीष असाटी, आदर्श ज्ञान सागर के संचालक नसरीन बेगम गुरू पब्लिक स्कूल के संचालक मो. तौसीफ , उस्मानिया मिडिल स्कूल के संचालक मो. शमीम , सेन्ट अब्राहम के शाला संचालक मोहम्मद शफीक, जिला शिक्षा केंद्र के तत्कालीन नोडल अधिकारी, श्रीमति चंदा कोष्टा, श्रीमति गुलनिगार खानम, श्रीमति अख्तर बेगम अंसारी, राजेन्द्र बुधेलिया, डी. के. मेहरा एवं अन्य के खिलाफ धारा 409,420,120 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

अमर्यादित बयानबाजी पर कांग्रेस विधायक को रास सांसद ने लिया आड़े हाथों

कहा...राजनीति से तुरंत संन्यास लें कांग्रेसी विधायक

बच्चियों, महिलाओं एवं दलित वर्ग के खिलाफ दिया था बयान

नवभारत,जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है और शासन से मांग की है कि ऐसे अमर्यादित बयानबाजी करने वाले विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने नवभारत को बताया कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जिस कारण उसकी मानसिक विकृति बयानबाजी के जरिए बाहर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले बेटियों, आदिशक्ति का पूजन कर कार्यक्रम की शुरूआत होती है लेकिन कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया बच्चियों, महिलाओं के प्रति जो मर्यादित बयान दे रहे हैं उसे अपने शब्दों में बोलना भी काफी निंदनीय है। ऐसे विधायक को तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। साथ ही दलित वर्ग का अपमान करने वाले विधायक को चुनाव में जिताने वाले दलित वर्ग के ही वोटर अब अफसोस कर रहे हैं कि कहां से उन्होंने इस विधायक को वोट देकर चुनाव जिताया था।

जानकारी के अनुसार भोपाल के समन्वय भवन में दो दिन पहले कांग्रेस की डिक्लेरेशन-2 की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दलिग वर्ग का अपमान करते हुए बयानबाजी की और बच्चियों, महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए थे जिसके बाद से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया है। विधायक द्वारा दिए गए बयान में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग (एससी-एसटी) के विधायक-सांसदों की तुलना कुत्ते से की गई थी।

इस पर सुमित्रा बाल्मीक ने कहा है मतलब विधायक ने भी अपने आदर्श नेताओं के तलवे चाटे होंगे और वे भी अपने आप को कुत्ते ही श्रेणी में मान रहे हैं।

गोदाम में रखीं थीं प्रतिबंधित पॉलीथिन, संचालक पर लगाया एक लाख का जुर्माना

नवभारत,जबलपुर। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर लगाम कसने के लिए नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कड़े निर्देशों के बाद, स्वास्थ्य विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम ने चण्डाल भाटा स्थित मऊरानीपुर में दबिश दी और भारी मात्रा में पॉलीथिन जप्ती के साथ संचालक के ऊपर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर स्थित एक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन के भंडारण की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुँचकर जब निरीक्षण किया, तो वहां पॉलीथिन का अवैध स्टॉक पाया गया। निगम प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टॉक को जब्त कर 1 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान हिदायत देते हुए कहा कि शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन का विक्रय या भंडारण पूरी तरह वर्जित है।

कार्यवाही में उपायुक्त संभव अयाची, अभिनव मिश्रा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र राज, अर्जुन यादव, पोलाराव, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आर.के. जैन, साइंटिस्ट एवं सी.एस.आई. राधा गायकवाड़, सुपरवाइजर सिद्दीकी, रचित, केतन आदि उपस्थित रहे।

SBI भारतीय स्टेट बैंक | भारतीय स्टेट बैंक, एम आर डिंडोरी, जिला- डिंडोरी, मध्यप्रदेश
शाखा कोड क्रमांक - 30452

नियम : 13 (4) सरफेसी नियम 2002 के तहत कब्जा सूचना का प्रकाशन

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (54 का 2002) के अंतर्गत एवं धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम (2002) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय स्टेट बैंक के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रधिकृत अधिकारियों ने मांग सूचना पत्र जारी किया, जिसमें निम्नलिखित उधार लेने वालों को उल्लेखित राशि ब्याज सहित नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऋणी / जमानतदार द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल हो जाने पर ऋणी / जमानतदारों और आम जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है विशेषकर ऋणकर्ता / जमानतदारों एवं सामान्य तौर पर जन साधारण को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार ना करें और इन सम्पत्ति पर किये गये कोई भी व्यवहार पर भारतीय स्टेट बैंक के निम्न राशि और उस पर ब्याज एवं अन्य व्यय के अधीन भार (Charge) होगा।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	सांकेतिक कब्जा तिथि	नोटिस की वर्तमान शेष राशि
श्री प्रशांत गुप्ता पिता श्री अनिल गुप्ता जमानतदार का नाम श्रीमति संगीता बाई पति श्री अनिल गुप्ता संपत्ति मालिक श्रीमति संगीता बाई पति श्री अनिल गुप्ता	खसरा संख्या 1669/4/1, एरिया 4350 वर्ग फीट, गाँव- करंजीया, पोस्ट- करंजीया, तहसील- डिंडोरी जिला-डिंडोरी, मध्यप्रदेश चौहद्दी:- उत्तर- दरबारी का दुकान, दक्षिण-सीता देवी का दुकान, पूरब-खन्नाद रोड, पश्चिम- शिवप्रसाद की जमीन,	07/10/2025	12/01/2026	रुपया 41,41,682.82 + ब्याज + अन्य खर्चे

संवैधानिक चेतावनी : ऋणगृहिता एवं जमानतदार इसे 30 दिन का बिक्री पूर्व नोटिस समझें। यदि 30 दिन के अंदर खाता बंद नहीं होता है तो संपत्ति की नीलामी कर दी।
दिनांक :- 16/01/2026,
स्थान :-डिंडोरी
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

नियमों का उल्लंघन करने वाली 12 बसों पर कार्रवाई

आरटीओ की सख्ती, दस्तावेज जब्त, चालान की तैयारी

नवभारत,जबलपुर। शहर में यात्री सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। दीनदयाल चौराहे पर सहायक आरटीओ संतोष पाल के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 12 बसों की जांच कर नियम उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। सहायक आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन विभाग के निर्देशानुसार बसों की सघन जांच की गई, जिसमें ड्राइवर सीट के बाजू में अनधिकृत गेट लगे होना, इमरजेंसी गेट पर कुर्सियां लगाकर उसे अवरुद्ध करना जैसी गंभीर खामियां वाली बसों पर कार्यवाही की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इन नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बसों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वाले बस संचालकों से चालान वसूला जाएगा। साथ ही जो संचालक चालान जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है।

रेल ट्रैक पर लैंड कराया विमान, फेक वीडियो वायरल

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के जबलपुर स्टेशन का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें हवाई जहाज को रेलवे स्टेशन पर लैंड करता दिखाया गया है। फेक वीडियो में एक युवक बता रहा है कि पायलट को रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। यह फर्जी वीडियो एआई से बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। खमरिया थाना प्रभारी राजकुमार खटीक के मुताबिक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। वहीं चौकी प्रभारी नितिन पांडे का कहना है कि कल सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक वीडियो दिखाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। एआई जनरेटेड वीडियो में जबलपुर रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। ट्रैक पर इंजन खड़ा हुआ है, उसके बगल से एक बड़ा हवाई जहाज भी खड़ा है। दोनों में टक्कर हो गई। वीडियो में एक युवक बता रहा है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जहाज सीधे पटरियों पर लैंड होगा। फर्जी वीडियो को लेकर फिलहाल कोई लिखित शिकायत नहीं की गई हैं अगर शिकायत आती है तो मामले की जांच होगी।

डैम में हेलीकॉप्टर गिरने की सूचना निकली फर्जी

कुंडम थाना अंतर्गत बंधुआ डैम में हेलीकॉप्टर गिरने की सूचना पर आठ घंटे सर्चिंग चली। जिसके बाद पता चला कि सूचना फर्जी है। अफवाह से हड़कंप मच रहा। हालांकि बाद में सभी ने राहत की सांस ली। मामले की सूचना सरपंच को किसी ने दी थी जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया था। बाद में हेलीकॉप्टर गिरने की सूचना फर्जी निकली।

अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज
मुँहासे | झांइयाँ | सफेद दाग | खुजली | दाद | चर्म रोग | हेयरफॉल | रंग गोरा करें
स्किन हेयर एण्ड सौन्दर्य क्लीनिक
तुरन्त हटाये — तिल, मस्से, टैटू, सफेद दाग
(सोमवार मंगलवार बुधवार)
डॉ. ए.कुमार
B.Sc., B.H.M.S (Skin & VD) Pune
C.C.C.L.A.M (Cosmetologist) IICSAM,
C.C.M.T (Trichologist) IICSAM
पता- 846, छत्रपति भवन, राईट टाउन, नया महावीर जैन मंदिर, गोल बाजार, जबलपुर (म.प्र.)
मो. नं. 9307854830, 7389098734

।। श्री महावीराय नमः ।।
ईमेल : arihantlee@gmail.com
पदम कुमार बोथरा
फारेस्ट कान्ट्रेक्टर
पदम बोथरा 9424955756, 9827590805
अरिहंत बोथरा 9993111102
बांस, बल्ली, कंटग, चैली, राप्टर पटिया, प्लाई एवं सीढ़ी के थोक व फुटकर विक्रेता
हाऊबाग स्टेशन रोड, जबलपुर

SPARK CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
सम्पर्क
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

MAHARISHI VIDYA MANDIR & MAHARISHI KIDS HOME
NAPIER TOWN JABALPUR
(Affiliated to C.B.S.E. Affiliation No. 1030295)
ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी
Special Discount in Admission Fee
ADMISSION OPEN 2026-27
* Co-Ed English Medium School
* Play Nursery- XII(12th- All Stream)
756, Napier Town Jabalpur (MP)
Phone : 0761-2411124, 4004988
Mobile No. : 9179701523, 7974333753
E-mail : mvmjabalpur2@mssmail.org
Brahmachari Dr. Girish Ji
Chairman
MVM School Group

SHIVAM CERAMIC JABALPUR
QUTONE
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

नवभारत
आवश्यकता है
पद की योग्यता
देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट (2 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम. व टेली)
डीटीपी ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव (3 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम/ बीबीए)
सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव (2 वर्ष का अनुभव एवं बीए/बी.कॉम)
नोट- स्वयं का वाहन और कम्प्यूटर में दक्षता अनिवार्य।
ऑफिस बाय (5 वर्ष का अनुभव एवं 10 वीं पास)
संपर्क करें
कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)
9752721239, 8305852507, 9109700824
hr.navabharat1934@gmail.com